प्रेषक

ई–मेल द्वारा

निदेशक
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 5/438 /2022–5/35/2022 लखनऊ दिनांकः 26 जुलाई, 2022

विषयः आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक–11 से 17 अगस्त, 2022 तक समस्त ग्राम पंचायतों में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–98 मु.स./33–3–2022–98 मु0स0/2022 दिनांक–19 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक–11 से 17 अगस्त, 2022 तक समस्त ग्राम पंचायतों में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार समस्त ग्राम पंचायतों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये:–

- ➢ समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सचिवालयों में झण्डारोहण किया जाएगा।
- ➢ समस्त ग्राम पंचायत परिसर में साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ➢ ग्राम पंचायत परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा।
- ➢ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रभात फेरी स्थल, पार्कों एवं शहीद स्मारकों में विशेष साफ–सफाई की व्यवस्था की जाएगी।
- ➢ दिनांक–11.08.2022 से दिनांक–17.08.2022 तक पंचायत भवनों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु बैठक कर ग्रामवासियों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारी के निम्नांकित बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये:–

- प्रत्येक ग्रामवासी को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुये फहराना/लगाना है।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जाएगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी ग्रामवासी के द्वारा इसे फेका व अव्यवस्थित नही किया जाएगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाए अथवा ग्राम पंचायत व अन्य केन्द्रों पर जमा कर देना चाहिए।
- हर घर पर झण्डा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

अतः अपर मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों एवं झण्डा संहिता के नियमों का शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दायित्वों का प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या –5/438 /2022–5/35/2022 दिनांक जुलाई 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से भी नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या-1 8 मु०स०/33-3-2022-98मु0स0/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ दिनाँक: 19 जुलाई, 2022

विषय-आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के लिये पंचायती राज विभाग द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में गरिमामय रूप से मनाया जा रहा है। दिनांक 11.08.2022 से 17.08.2022 के मध्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने घर एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों पर झण्डा फहराना लक्षित है। दिनाँक 11.08.2022 से दिनाँक 17.08.2022 तक स्वतन्त्रता सप्ताह के रूप में मनाया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित कार्ययोजना के अनुसार हर घर तिरंगा कार्यक्रम संपादित किया जायेगा :-

(i) समस्त ग्राम पंचायतें-58,189, क्षेत्र पंचायतें-826 तथा जिला पंचायतें-75 द्वारा अपने कार्यालय परिसर में झण्डारोहण किया जाएगा तथा ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सचिवालय में, ब्लाक प्रमुख द्वारा क्षेत्र पंचायत व अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत कार्यालय में झण्डारोहण किया जाएगा।

(ii) समस्त ग्राम पंचायत परिसर, क्षेत्र पंचायत परिसर व जिला पंचायत परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(iii) प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य का चयन कर सम्बन्धित अवर अभियन्ता व सम्बन्धित विकासकर्ता को सम्मानित किया जाएगा।

(iv) ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा।

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्रभात फेरी स्थल, पार्कों एवं शहीद स्मारकों में विशेष साफ-सफाई की व्यवस्था की जायेगी।

(vi) दिनाँक 11.08.2022 से दिनाँक 17.08.2022 तक पंचायत भवनों पर तिरंगा लाइटिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।

1191

DD (श्री सिंह) श्री कटियार)

निदेशक 19/07/22

ST

भवदीय,

19.7.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

(योगेन्द्र कटियार)
उप निदेशक (पं०),
पंचायती राज, उ०प्र०।

Amit Srt.

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

3– श्री योगेन्द्र कटियार, उपनिदेशक (पं0) एवं नोडल अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

4– समस्त, अपर मुख्य अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– समस्त ग्राम प्रधान एवं सचिव उत्तर प्रदेश।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.